

# ब्लैक फंगस के उपचार वाली फर्जी दवाई का राष्ट्रव्यापी घोटाला, पर्दफाश

-अहमदाबाद एवं सूरत में नकली दवाई की बिक्री करने वाली कंपनी पर खाद्य एवं औषध विभाग का छापा

-पचास लाख से अधिक की दवाइयां जब्त

By: Omprakash Sharma

Published: 07 Jul 2021, 10:24 PM IST

Ahmedabad, Ahmedabad, Gujarat, India



अहमदाबाद, कोरोना के बाद महामारी के रूप में सामने आई म्यूकोरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) नामक बीमारी के उपचार में उपयोग की जाने वाली कुविकॉन नाम से बेची जाने वाली नकली दवाइयों का पर्दफाश किया गया है। अहमदाबाद और सूरत शहर में कुछ जगहों पर छापेमारी कर दवाइयां बरामद की गई हैं। इन फर्जी दवाइयों की कीमत 50 लाख से अधिक बताई गई है। यह राष्ट्रव्यापी घोटाला बताया जा रहा है।

राज्य के खाद्य एवं औषध विभाग के आयुक्त डॉ. एच.जी. कोशिया ने बताया कि पिछले दिनों महामारी के रूप में घोषित की गई म्यूकोरमाइकोसिस नामक बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सकों की ओर से सुझाई जाने वाली दवाई का अवैध एवं फर्जी तौर पर निर्माण कर राज्य भर में उसकी सप्लाई होने की सूचना विभाग को मिली थी। जिसके आधार पर विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू की गई। छापे के दौरान हाथ लगी दवाइयों को जांच के लिए लैब में भेजा गया। मंगलवार को इन दवाइयों के नकली होने की पुष्टि हुई। दवाई की 1440 टेबलेट बरामद की हैं। इस संबंध में हैदराबाद की एक कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जो देश के विविध भागों में इस दवाई की सप्लाई करती है। डॉ. कोशिया के अनुसार इस कंपनी के पास दवाई निर्माण की उचित मंजूरी भी नहीं है। अर्थात् दवाई बनाने के लिए लाइसेंस नहीं है। अहमदाबाद और सूरत में कई जगहों पर इस दवाई की सप्लाई की गई और बेची जा रही थी।

राज्यभर से जब्त की गई हैं 50 लाख से अधिक की नकली दवाई

खाद्य एवं औषध विभाग की ओर से नकली दवाइयां जब्त की गई हैं। विभाग के अनुसार कुविकॉन टैबलेट (पॉस्कोनाज़ोल गैस्ट्रो-रसिस्टेंट टैबलेट 100 मिलीग्राम तथा कुविकॉन 40 एमजी पीने वाली दवाई की बोतल भी जब्त की गई है। इस 105 एमएल वाली एक बोतल की कीम 20 हजार रुपए से अधिक है। कुल मिलाकर 50 लाख से अधिक कीमत की दवाई जब्त की गई है।

देश के ड्रग कन्ट्रोल को दी सूचना

राष्ट्रव्यापी घोटाला होने के कारण इस संबंध में राज्य के खाद्य एवं औषध विभाग ने देश के ड्रग कन्ट्रोलर जनरल को इस संबंध में सूचना दी है। डॉ. कोशिया का कहना है कि अन्य राज्यों में भी इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि देश के विविध भागों में दवाई की सप्लाई करने के इस मामले में हैदराबाद की कंपनी के घोटाले की जांच के आदेश के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

Source: <https://www.patrika.com/ahmedabad-news/black-fungus-fake-medicine-ahmedabad-6937906/>